राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4323/2022

डॉ. निधि यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
4. डॉ. पृथ्वी राज जींगर, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर बी.सी.एम.ओ., गिरवा, उदयपुर में पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में बी.सी.एम.ओ. के पद पर ब्लॉक गिर्वा, जिला उदयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सी.एच.सी., झालो की मदार, राजसमंद किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी मातृत्व अवकाश पर होने के बावजूद उसका स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मातृत्व अवकाश आवेदन दिनांक 07.07.2022 से 02.01.2023 तक दिया गया, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट है। उनका तर्क है कि पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या 4 गिर्वा में कार्य कर रहा था और जब उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 28/2018 दर्ज की गई और दिनांक 02.02.2018 को गिरफ्तार किया गया। आदेश दिनांक 08.09.2020 के द्वारा वह निलम्बन है। उसने

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसके निलम्बन के विरूद्ध एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया और प्रत्यर्थी विभाग ने उसे अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया जबकि उसी जगह पर उसका भ्रष्टाचार का मामला उसके विरूद्ध लम्बित है। फिर भी उसे उसी स्थान पर पदस्थापित कर दिया और अपीलार्थी को झालो की मदार, राजसमंद स्थानान्तरित कर दिया जबकि अपीलार्थी मातृत्व अवकाश पर है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी कार्मिक से कहीं पर भी सेवाएं ली जा सकती है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं है और ना ही दुर्भावनावश जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थी वर्ष 2021 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और एक ही स्थान पर किसी भी कार्मिक को पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन बी.सी.एम.ओ. के पद पर ब्लॉक गिर्वा, जिला उदयपुर में कार्यरत है। जहां तक अपीलार्थी के मातृत्व अवकाश का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 मातृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 07.07.2022 से 02.01.2023 तक का मातृत्व अवकाश लिया है, जो अब पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी का अब यह तर्क आधारहीन है।

प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 31.10.2022 का स्थगन प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य